फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 16/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/16) **श्रीमती सुशीला वैरागी बनाम श्रीमती मांगीबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** 1. श्रीमती सुशीला पुत्री श्री लक्ष्मणदास वैरागी पत्नि श्री प्रकाश वैष्णव, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। **अपीलार्थी** 1. श्रीमती मांगीबाई नातायत पत्नि श्री लक्ष्मणदास वैरागी, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा, बप्रकरण संख्या 18/2022 निर्णय दिनांक 21.12.2022 (अनवान श्रीमती मांगीबाई बनाम सरकार)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 15.04.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा, बप्रकरण संख्या 18/2022 निर्णय दिनांक 21.12.2022 (अनवान श्रीमती मांगीबाई बनाम सरकार) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा समक्ष वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती मांगीबाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उसके पति श्री लक्ष्मणदास पिता भोलूदास वैरागी की विरासत का नामान्तरकरण उसके पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार वर्तमान अपील की अपीलार्थीया श्रीमती सुशीला द्वारा स्वयं का श्री लक्ष्मणदास की पुत्री बताकर एवं अन्य दो पुत्रियां सुमित्रा व पुषा को भी लक्ष्मणदास की वारिस बताया गया एवं विरासत के नामान्तरकरण बाबत निवेदन किया गया। • उक्त आवेदनों पर तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण कर संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं संबंधित गवाहान के बयान दर्ज कर ग्राम भावलिया में दर्ज आराजी संख्या 4 एवं 13 किता 2 रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि एवं अन्य भूमि जो श्री लक्ष्मणदास पिता भोलूदास वैरागी के नाम दर्ज रेकार्ड हो का विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती मांगीबाई पत्नि लक्ष्मणदास वैरागी के नाम दर्ज करने का निर्णय दिनांक 21.12.2022 को पारित किया। न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा के उक्त निर्णय दिनांक 21.12.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 12.04.2024 को सुनी गई। प्रत्यर्थी-1 बावजुद सूचना अनुपस्थित। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में**	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 16/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/16) **श्रीमती सुशीला वैरागी बनाम श्रीमती मांगीबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत किया है कि श्री लक्ष्मणदास की मृत्यु के बाद उसकी विरासत में अपीलार्थीया का हक व हिस्सा बनता है जो तहसीलदार निम्बाहेडा के द्वारा बिना किसी आधार के यह कहकर नकार दिया कि अपीलार्थीयां उसकी माता के साथ में आई हुई थी और उसको श्री लक्ष्मणदास की सम्पत्ति में कोई हक हिस्सा नहीं बतना है। तहसीलदार द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के नातायत पत्नि श्रीमती मांगीबाई के नाम विरासत के नामान्तरकरण का आदेश पारित किया जबकि नातायत पत्नि का कोई हक हित अधिकारी स्वत्व नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर यह बात भी भली प्रकार से थी कि श्री लक्ष्मणदास ने अपने जीवनकाल में चार शादियां की थी, जिसमें पहली पत्नि श्रीमती श्यामाबाई लाऔलाद फौत हो गई थी, उसके बाद दुसरी पत्नि अणछीबाई से शादी की थी, जिसने दुसरा नाता विवाह कर श्री लक्ष्मणदास को छौड़ दिया, उसके बाद उन्होनें तीसरा विवाह सायरी देवी से किया जो अपीलार्थीयां की माता है और उसके बाद उन्होनें चौथा नातायत विवाह रेस्पोडेंट श्रीमती मांगीबाई के साथ में किया था, जिनके साथ में दो पुत्रियां सुमित्रा एवं पुष्पा को लेकर आई थी। इस प्रकार श्री लक्ष्मणदास की अपीलार्थी विधिक पुत्री होकर नामान्तरकरण की अधिकारी है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आई रेकर्ड पर साक्ष्य से यह बात भली प्रकार से साबित थी कि मृतक श्री लक्ष्मणदास की विरासत विवादसप्रद है और नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में उसकी जांच नहीं की जा सकती है, इस हेतु सक्षम न्यायालय में चाराचोही उपरान्त वांछित दाद प्राप्त की जा सकती है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा का आक्षेपित आदेश निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया। अपने कथनों समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1. आरआरटी 2003(2) पेज 870 2. आरआरटी 2004(2) पेज 1140 3. आरआरटी 2004(2) पेज 1311 4. आरआरटी 2009(1) पेज 376 5. आरआरटी 2009(1) पेज 381 **प्रत्यर्थी तहसीलदार निम्बाहेड़ा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण आवेदनों पर तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण कर संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं संबंधित गवाहान के बयान दर्ज कर ग्राम भावलिया में दर्ज आराजी संख्या 4 एवं 13 किता 2 रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि एवं अन्य भूमि जो श्री लक्ष्मणदास पिता भोलूदास वैरागी के नाम दर्ज रेकार्ड हो का विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती मांगीबाई पत्नि लक्ष्मणदास वैरागी के नाम दर्ज करने का निर्णय दिनांक 21.12.2022 को पारित किया। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान परिशीलन किया।** पत्रावलियों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 16/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/16) **श्रीमती सुशीला वैरागी बनाम श्रीमती मांगीबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तहसीलदार निम्बाहेडा समक्ष वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती मांगीबाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उसके पति श्री लक्ष्मणदास पिता भोलूदास वैरागी की विरासत का नामान्तरकरण उसके पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार वर्तमान अपील की अपीलार्थीया श्रीमती सुशीला द्वारा स्वयं का श्री लक्ष्मणदास की पुत्री बताकर एवं अन्य दो पुत्रियां सुमित्रा व पुषा को भी लक्ष्मणदास की वारिस बताया गया एवं विरासत के नामान्तरकरण बाबत निवेदन किया गया। उक्त आवेदनों पर तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण कर संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं संबंधित गवाहान के बयान दर्ज कर ग्राम भावलिया में दर्ज आराजी संख्या 4 एवं 13 किता 2 रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि एवं अन्य भूमि जो श्री लक्ष्मणदास पिता भोलूदास वैरागी के नाम दर्ज रेकार्ड हो का विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती मांगीबाई पत्नि लक्ष्मणदास वैरागी के नाम दर्ज करने का निर्णय दिनांक 21.12.2022 को पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई।

जैसा कि उपरोक्त पेरा में यह वर्णन किया गया कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण आवेदनों पर तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा संबंधित पटवारी हल्का भावलिया से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का भावलिया द्वारा विरासत की जान रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 में अंकित किया कि-

> लक्ष्मणदास जी ने चार शादियां की थी। पहली शादी श्यामाबाई से हुई। शादी के दो तीन वर्ष बाद श्यामाबाई लाऔलाद फौत हो गई। फिर अणछीबाई को नाते लाए। अणछीबाई से दो बच्चे जन्मे जिनकी मृत्यु अल्पआयु में ही हो गई। अणछी अन्यंत्र चली गई। अतः अणछीबाई के नाते जाने के बाद सायरीबाई को नाते लेकर आए। **सायरीबाई अपने साथ छः महीने की बच्ची जिसका नाम सुशीला है को साथ लेकर आई।** सायरीबाई से एक बच्चे की उत्पत्ति हुई जो 5 वर्ष की आयु में फौत हुआ तथा दुसरे की जन्म होते ही मृत्यु हो गई। सायरीबाई की मृत्यु उपरान्त मांगीबाई को नाते लेकर आए। मांगीबाई के दो बच्चियां (1)सुमित्रा (2) पुष्पा नाते आने से पूर्व में हुई तथा नाते आने के बाद मांगीबाई के एक बच्चा हुआ जिसकी मृत्यु अल्पआयु में ही हो गई। वर्तमान मांगीबाई जीवित होकर ग्राम भावलिया में निवास कर रही है।

पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के दृष्टिगत एवं न्यायहित में तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा श्रीमती सुशीला, सुमित्रा, पुष्पाा, मांगीबाई, लक्ष्मणदास के भाई सोहनदास एवं अन्य गवाहान श्री कैलाश सुथार, गंगाराम के शपथपूर्वक बयान दर्ज किये जिसमें उनके द्वारा लक्ष्मणदास की चार शादियां एवं **पुत्रियों के नाते से पूर्व जन्म होकर साथ आने के कथनों की ताईद दी।** उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से हम तहसीलदार निम्बाहेड़ा के द्वारा किये गये इस विनिश्चय का समर्थन करते है कि लक्ष्मणदास की वर्तमान में एक पत्नि श्रीमती मांगीबाई है और नियमानुसार श्री लक्ष्मणदा की भूमि की वारिस एक मात्र हकदार पत्नि श्रीमती मांगीबाई ही है।

दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 16/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/16) **श्रीमती सुशीला वैरागी बनाम श्रीमती मांगीबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है। विधिक स्थिति यह भी है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जिसमें ना तो किसी पक्षकार के हित का सृजन होता है और न ही किसी पक्षकार के हित समाप्त होते है, पीड़ित पक्षकार को नियमित वाद प्रस्तुत करके अपने अधिकारों को तय करवाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को चाहिये कि वह अपने अधिकार साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत चाराजोही करे। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उस चस्पा न होकर उपरोक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत उसके विरूद्ध पाये जाते है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	